Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 42–2025] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025 (ASVINA 24, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

मत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 अक्तूबर, 2025

संख्या 635–म०प०–I–2025/7960.– दि हरियाणा फ़िशरीज स्टेट सर्विस, ग्रुप बी, रूलस, 1980 का निम्नलिखित अनुवाद, हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (घ) के अधीन उक्त सेवा नियमों का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा।

भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मत्स्य पालन राज्य सेवा ग्रुप ख में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

भाग–I सामान्य

1. ये नियम हरियाणा मत्स्य पालन ग्रुप ख सेवा नियम, 1980 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, –

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व आयोजित परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि–पत्र प्रमाण–पत्र के मामले में पंजाब, सिन्ध अथवा ढ़ाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(ङ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा मत्स्य पालन विभाग, राज्य सेवा ग्रुप ख।

भाग– II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताए गए पद समाविष्ट होंगेः

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) किसी भी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न होः–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा तथा तंजानियां के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया होः

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) किसी भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, को हरियाणा लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता और दो ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो से उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करे ।

आयु ।

5. किसी भी व्यक्ति को सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष की आयु से कम या सताईस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां, आयोग से परामर्श करने के बाद सरकार द्वारा की जाएंगी।

योग्यताएं।

7. किसी भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह इन नियमों के परिशिष्ट ख में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो ।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्तिः–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढ़ंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढ़ंग से की जाएगीः–

(क) पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत; या

(ख) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत; या

(ग) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी व्यक्ति के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; बशर्ते पदोन्नति या सीधी भर्ती के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो।

(2) जब कभी सेवा में कोई रिक्ति होती है या होने वाली हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह निर्धारित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जाएगी।

(3) पदोन्नति द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति सर्वथा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और कोई भी व्यक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह –

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो, –

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो–

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में, संतोषजनक न रहा हो तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्त के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

विभागीय परीक्षा।

11. (1) सेवा का प्रत्येक सदस्य, सेवा में अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के भीतर, इन नियमों के परिशिष्ट 'ङ' में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करेगा ।

(2) यदि कोई सदस्य, हरियाणा मत्स्य पालन विभाग, राज्य सेवा ग्रुप ग में दोनों पेपरों में विभागीय परीक्षा श्रेय के साथ पहले से ही उत्तीर्ण कर चुका है, तो उसे इस सेवा में उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अनुक्रम में, सदस्य को प्रत्येक पेपर में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। प्रत्येक पेपर में 66 प्रतिशत अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सदस्य को श्रेय कर साथ विभागीय परीक्षा अर्हक करने वाला माना जाएगा और उसे श्रेणी I सेवा में उक्त परीक्षा पुनः उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) यदि कोई सदस्य विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा; बशर्ते सरकार किसी भी सदस्य को सम्पूर्ण विभागीय परीक्षा या उसके किसी भाग को उत्तीर्ण करने से छूट दे सकती है या अवधि बढ़ा सकती है, जिसके भीतर सेवा का सदस्य परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।

(5) सेवा के सदस्य की वेतनवृद्धि निम्नानुसार विनियमित की जाएगी :–

(i) यदि सेवा का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो वह विभागीय परीक्षा पूरी होने के अन्तिम दिन के बाद की तिथि, से पहले अर्जित वेतनवृद्धि, यदि कोई हो, सहित दो वेतनवृद्धियां प्राप्त करने का हकदार होगा। तथापि, तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद, वह तीसरी वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ii) यदि सेवा के किसी सदस्य को परीक्षा अवधि में विस्तार अनुज्ञात किया है, जिसके भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की जानी अपेक्षित है, तो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि के बाद की अवधि के लिए उसकी आगामी वेतनवृद्धि, परीक्षा पूरी होने के अन्तिम दिन के बाद की तिथि से जारी की जाएगी;

(iii) यदि सेवा का कोई सदस्य विभागीय परीक्षा या उसके किसी भाग को उत्तीर्ण करने में विफल हो जाता है, और बाद में सरकार द्वारा उसे विभागीय परीक्षा या उसके किसी भाग, जैसी भी स्थिति हो, को उत्तीर्ण करने से छूट दी जाती है, तो उसके बाद की अवधि, जिसके भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की जानी थी, के लिए उसकी वेतनवृद्धि उस तिथि से जारी की जाएगी, जिससे उसे ऐसी छूट दी जाती है;

(iv) आगे की वेतनवृद्धि सामान्य रूप से उस तिथि पर स्वीकार्य होगी जिस पर वे अन्यथा से देय होती।

ज्येष्ठता।

12. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जाएगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

13. सेवा का कोई भी सदस्य, हरियाणा सरकार के अधीन हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,–

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण;

(ii) केन्द्रीय सरकार या किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर–सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड़ (ii) और (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

14. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन बनाई गई तथा तत्समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

15. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर, यथा संशोधित पंजाब सिविल सेवा (दण्ड़ तथा अपील) नियम, 1952 द्वारा शासित होंगेः

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी किसी भी उपबन्ध के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) पंजाब सिविल सेवा (दण्ड़ तथा अपील) नियम, 1952 के नियम 10 के उप– नियम (1) के खण्ड (ग) तथा (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट 'घ' में यथा विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा और जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढ़ील देने की शक्ति।

18. जहां सरकार की राय है कि इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में ढ़ील देना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारण लिपिबद्ध करके, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के सम्बन्ध में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध ।

19. इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, किसी व्यक्ति के नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगा सकता है, यदि ऐसा करना समीचीन है।

निरसन तथा व्यावृति।

20. पंजाब मत्स्य पालन नियम, 1935, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धो के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	मत्स्य विकास अधिकारी	3	6	9	350-25-500/30-590/30-830/35-900/- रूपए
2.	मत्स्य अनुसंधान अधिकारी	—	1	1	350-25-500/30-590/30-830/35-900/- रूपए

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती और स्थानान्तरण के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1. 2.	मत्स्य विकास अधिकारी मत्स्य अनुसंधान अधिकारी }	I. (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में जीव विज्ञान सहित बी.एस.सी.; (ख) मत्स्य विकास कार्यक्रम में 3 वर्ष के व्यवहारिक अनुभव सहित केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कलकत्ता से स्नातकोत्तर प्रशिक्षण ; अथवा बुनियादी अर्हता प्राप्त करने के बाद मत्स्य पालन के विकास में 7 वर्ष का अनुभवः अथवा II. (क) मछली एवं मत्स्य पालन में विशेषज्ञता सहित जीव विज्ञान में एम0एस0सी0; (ख) एम0एस0सी0 के बाद मत्स्य विकास में चार वर्ष का अनुभव; **टिप्पणः–** प्रत्येक मामले में अनुभव, बुनियादी अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त ही माना जाएगा। : III. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	(क) मत्स्य अधिकारी के रूप में दस वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान के साथ बी0एस0सी0 ; (ख) केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कलकत्ता से एक वर्ष का प्रशिक्षण।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 15 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1 2	मत्स्य विकास अधिकारी मत्स्य अनुसंधान अधिकारी	सरकार	(क) वैयक्तिक फाइल पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ख) परिनिन्दा ; (ग) दक्षतारोध सहित वेतनवृद्धियाँ रोकना; (घ) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन के कारण सरकार को हुई धन सम्बन्धी हानि की सम्पूर्ण या उसके भाग की वेतन से वसूली; (ड़) निम्नतर पद या समय वेतनमान या समयमान में निम्नतर ग्रेड पर अवनति; (च) सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; (छ) सेवा से पदच्युति जो भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।	विभागाध्यक्ष यथोपरि यथोपरि यथोपरि सरकार यथोपरि यथोपरि	सरकार यथोपरि यथोपरि यथोपरि यथोपरि यथोपरि यथोपरि

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 15 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1. 2.	मत्स्य विकास अधिकारी मत्स्य अनुसंधान अधिकारी	(क) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ख) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा सेवा के सदस्य की नियुक्ति की समाप्ति ।	सरकार सरकार	शून्य शून्य

परिशिष्ट ङ

(देखिए नियम 11)

परीक्षा में निम्नलिखित पेपर शामिल होंगे, जिनके अंक प्रत्येक के सामने दर्शाए गए हैं :–

प्रथम पेपर	: मत्स्य विभाग के अन्तर्स्थलीय मत्स्य विज्ञान और परिपत्र	**50 अंक**
द्वितीय पेपर	: लेखा (पुस्तकों की सहायता से)	**120 अंक**

लेखा परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगाः–

(I) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द I, भाग I
अध्याय I से V, VII, VIII (नियम 8.1 से 8.91, 8.113 से 8.140), IX, XII और XV.

(II) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द I, भाग II
परिशिष्ट I, 8–क, 112, 17, 20, 23 तथा 24.

(III) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द II
अध्याय I से VII, IX से XI, XIII और परिशिष्ट 2

(IV) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द III,
अध्याय 1 से 3 (परिशिष्ट ''क' से 'ध' सहित)

(V) पंजाब वित्तीय हैंड बुक, भाग I
अध्याय 1, 2, 4 से 8, 10, 12, 15, 17 से 19

(VI) पंजाब वित्तीय नियम, जिल्द II,
परिशिष्ट 2 से 6, 10 से 12, 14 से 17 तथा 19

(VII) पंजाब वित्तीय हस्त पुस्तक, भाग I (कोष नियम, भाग I, भाग II)
अध्याय 2, 3 नियम 4.1 से 4.49, 4.92, 4.109, 4.113 से 4.114, 4.119 से 4.140, 4.168 से 4.181, अध्याय 4 एवं अध्याय 6 परिशिष्ट ख तथा ग ।

(VIII) पंजाब बजट मैनुअल
अध्याय 1 से 3, 7, 10 से 15, 18, 21, 26 से 28

(IX) सरकारी लेखापरीक्षा और लेखा का परिचय
अध्याय 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 26 से 28

डा० राजा शेखर वुंडरू,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
मत्स्य पालन विभाग।

12156—C.S.—H.G.P., Pkl.